न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 79 / 2022 अपील (GCMS 2022/90)
पंजीयन दिनांक– 27 / 09 / 2023
निर्णय दिनांक– / 09 / 2023

1. श्री चाको के. पी. पिता जोसफ फिलीप, निवासी 43, फ्लेट नम्बर–4, अलीपुरा, उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, जरिये सचिव / चेयरमेन, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1.	श्री नरेन्द्र देवपुरा	अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री दिलीप सुथार	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–90–बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विशेषाधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के आदेश संख्या F. 11( ) Regln/2022/4980 दिनांक 30.08.2022

निर्णय

दिनांक / 09 / 2023

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 90–बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय विशेषाधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के आदेश संख्या F. 11( ) Regln/2022/4980 दिनांक 30.08.2022 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ दिनांक 27.09.2022 को इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.02.2022, 09.02.2022 एवं अतिरिक्त प्रतिवेदन दिनांक 25.04.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय के एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 824/2022 श्री मनीष जैन बनाम राज्य व अन्य आदेश दिनांक 07.04.2022 के साथ प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम हाथीधरा के आराजी संख्या 601, 602 एवं 603 किता 03 रकबा 1.3000 हैक्टेयर भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ नियमन की कार्यवाही चाही गई थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश संख्या F. 11( ) Regln/2022/4980 दिनांक 30.08.2022 से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र देवपुरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप सुथार उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 16.08.2023 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2022 के अवलोकन से यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट होता है कि, इस मामले में किसी भी तृतीय पक्ष ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। विशेषाधिकारी ने प्रन्यास का रेकार्ड, पत्रावली, दस्तावेज इत्यादि तलब नही किए, न ही उनका पक्ष, उज्र एतराज आमत्रिंत किए, केवलमात्र जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसी के आधार पर, अन्य सामग्री, कानून, परिपत्र, पत्रावली, आदेशिकाएं आदि को बिना देखे हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है। वस्तुतः धारा 90–बी की हुई कार्यवाही की संपूर्ण पत्रावली

प्रन्यास में विद्यमान है, परंतु मिलावटी एवं बनावटी तरीके से उसे उपलब्ध नही होना बता रहे है, हांलाकि ऐसी साक्ष्य, रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध नही होना और उस पर विचार किया जाना आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट नही होता है। प्रन्यास द्वारा पारित आदेश विशेषाधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित किया जाना प्रतीत होता है, परंतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2022 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि, सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रतिवेदन का निस्तारण कानून के अनुसार आठ सप्ताह में करें जबकि स्वीकृत रूप से उक्त आदेश की पालाना में सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश पारित नही किया जाकर विशेषाधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित किया गया जो बिना अधिकारिता के होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2022 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–2 राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2022 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.08.2022 की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 27.09.2022 को अंदर मयाद पेश की है।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम अपील में गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.02.2022, 09.02.2022 एवं अतिरिक्त प्रतिवेदन दिनांक 25.04.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय के एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 824/2022 श्री मनीष जैन बनाम राज्य व अन्य आदेश दिनांक 07.04.2022 के साथ प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम हाथीधरा के आराजी संख्या 601, 602 एवं 603 किता 03 रकबा 1.3000 हैक्टेयर भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ नियमन की कार्यवाही चाही जाने बाबत निवेदन किया गया था।

- प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.08.2006 से राजस्व ग्राम हाथीधरा (बड़गांव) के खसरा नम्बर 601, 602 एवं 603 किता 3 रकबा 1.3000 हैक्टेयर भूमि फार्म हाउस प्रयोजनार्थ 1500 वर्गगज से अधिक होने के कारण रूपांतरण/नियमन करने की स्वीकृति भी जारी किया जाना स्पष्ट है।

- प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 824/2022 श्री मनीष जैन बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2022 से यह निर्देश जारी किये गये है कि शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.08.2006 से राजस्व ग्राम हाथीधरा (बड़गांव) के खसरा नम्बर 601, 602 एवं 603 किता 3 रकबा 1.3000 हैक्टेयर भूमि फार्म हाउस प्रयोजनार्थ 1500 वर्गगज से अधिक होने के कारण रूपांतरण/नियमन करने की स्वीकृति भी अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर आठ सप्ताह

(2 माह) में सचिव/चेयरमेन, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा निर्णय पारित किया जावें, जबकि स्वीकृत रूप से उक्त आदेश की पालाना में सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश पारित नही किया जाकर विशेषाधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित किया गया है। स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना नही की गई है।

- प्रकरण में अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 18.01.2022 में दिये गये निर्देशानुसार शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.08.2006 से जारी स्वीकृति अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजी संख्या 601 से 603 रकबा 1.3000 किता 03 रकबा 1.3000 हैक्टेयर भूमि पर ही निर्णय करना था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में अन्य आराजी संख्या 604 से 609 एवं 614 पर भी निर्णय कर दिया एवं उक्त आदेश विशेषाधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित किया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त निर्णय सचिव/चेयरमेन, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को पारित करना था। जिससे यह प्रतीत होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशों की स्पष्ट रूप से पालना नही किया जाना प्रतित होता है।

- अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश संख्या F. 11( )Regln/2022/4980 दिनांक 30.08.2022 से पारित निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, अतएवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.08.2022 अपास्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या

824/2022 श्री मनीष जैन बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2022 में दिये गये निर्देशों की पालना में सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर स्वयं प्रकरण में जांच करते हुए 10 दिवस में विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर